

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में नर्सिंग सिस्टर के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में नर्सिंग सिस्टर के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुसूची की कॉलम संख्या	अनुमोदित/मौजूदा नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन के कारण
1. पद का नाम	नर्सिंग सिस्टर	नर्सिंग सिस्टर	समझा जाता है कि संशोधित नाम अर्थात वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी को डीजीएचएस को शामिल किए अथवा उससे सहमति लिए बिना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसलिए पद का फिर से नामकरण करने के संबंध में निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर छोड़ा जा सकता है।
2. पद की संख्या	16	58* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सृजन संबंधी विभिन्न आदेशों के माध्यम से 42 पदों का सृजन किया गया।
3. वर्गीकरण	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	इस पद को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.11012/7/2008-स्थापना (क) दिनांक 17.04.2009 के अनुसार लेवल 8 अर्थात 4800/- रु. (ग्रेड पे) हेतु समूह ख में वर्गीकृत किया गया है।
4. वेतनमान	210-10-220-15-320 रु. (दूसरा केन्द्रीय वेतन आयोग) 455-15-560-ईवी-20-700 (तीसरा केन्द्रीय वेतन आयोग) 1640-60-2600-ईवी-75-2900 (चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग) एस-10 (5500-175-9000) (पांचवा केन्द्रीय वेतन आयोग) पीबी-2 जीपी 4800/-रु. (छठा	पे-मेट्रिक्स में लेवल 8 (47600/- रु.)	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप प्रतिस्थापित किया गया है।

	केन्द्रीय वेतन आयोग) पे-मेट्रिक्स में लेवल 8 (47600/- रु.) (सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग)		
5. चयन पद है अथवा अचयन पद	लागू नहीं	चयन	दिनांक 31.03.2015 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी- 14017/13/2013 - स्था. (आरआर) के अनुसार समूह ख से समूह ख में पदोन्नति चयन द्वारा होगी।
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा	25 वर्ष	लागू नहीं	यहां पदों पर भर्ती पदोन्नति के आधार पर की जाएगी इसलिए दिनांक 31.03.2015 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी- 14017/13/2013 - स्था. (आरआर) के अनुसार यह स्तंभ लागू नहीं होगा।
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	मैट्रिकुलेशन नर्सिंग में सीनियर सर्टिफिकेट धारण करने वाली पंजीकृत नर्स और मिडवाइफ। सामान्य या मेंटल हॉस्पिटल स्टॉफ नर्स के तौर पर तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं।	यहां पदों पर भर्ती पदोन्नति के आधार पर की जाएगी इसलिए दिनांक 31.03.2015 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी- 14017/13/2013 - स्था. (आरआर) के अनुसार यह स्तंभ लागू नहीं होगा।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	यहां पदों पर भर्ती पदोन्नति के आधार पर की जाएगी इसलिए दिनांक 31.03.2015 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी- 14017/13/2013 - स्था. (आरआर) के अनुसार यह स्तंभ लागू नहीं होगा।
9. परिवीक्षा	दो वर्ष	लागू नहीं	दिनांक 31.03.2015

की अवधि यदि कोई हो			के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी- 14017/13/2013 - स्था. (आरआर) के अनुसार, उसी समूह में पदोन्नति होने पर अर्थात् (समूह ख से समूह ख में) यह लागू नहीं होगा।
10. भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)	दिनांक 31.03.2015 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी- 14017/13/2013 - स्था. (आरआर) के अनुसार, 'पदोन्नति द्वारा न होने की स्थिति में' भर्ती की पद्धति हेतु फीडर ग्रेड से पदोन्नति ग्रेड का अनुपात कम से कम दो होना चाहिए। इस संस्थान ने फीडर ग्रेड के तौर पर नर्सिंग अधिकारी (स्टॉफ नर्स) के 156 पदों तथा वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी (नर्सिंग सिस्टर) के 58 पदों को मंजूरी दी है।
11. प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	लागू नहीं	<p>पदोन्नति: नर्सिंग अधिकारी (स्टॉफ नर्स) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 (44900 रु.) में 5 वर्ष कार्य किया हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: (I) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:</p> <p>(क). (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात लेवल-7 या समकक्ष पद पर पांच वर्ष की</p>	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए शैक्षिक एवं अनिवार्य अर्हताएं भारतीय नर्सिंग परिषद की सिफारिशों के अनुसार ली गई हैं।

		नियमित सेवा कर चुके हैं; और (ख). निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आक्युपेशनल थैरेपी में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष और (ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल अथवा संस्थान में नर्सिंग अधिकारी (स्टॉफ नर्स) के तौर पर पांच वर्ष का अनुभव।	
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं	विभागीय पदोन्नति/ पुष्टि समिति में निम्नलिखित शामिल है: 1. निदेशक (सीआईपी)- अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	पदोन्नति वाले पदों हेतु डीपीसी अनिवार्य है।
13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	दिनांक 31.03.2015 के डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी- 14017/13/2013 - स्था. (आरआर) के अनुसार सीआईपी रांची का प्रस्ताव लागू नहीं होगा।